भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं0 **217**
दिनांक **24** जून**,** 2019

गेल पाईपलाइन

217. श्री टी॰एन॰ प्रथापनः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) केरल में गेल पाईपलाइन निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है**;**
(ख) अब तक कतने कलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है**;**
(ग) सरकार द्वारा आवासीय संपत्तियों सहित भू म अ धग्रहण के संबंध में शकायतों के समाधन के लए क्या कार्रवाई की गई है**;**
(घ) भू म अ धग्रहण के दौरान जिन लोगों की आवासीय संपत्ति चली गई है उनको मुआवजे के रूप में कतनी रा श जारी की गई है**;** और
(ङ) क्या सरकार ने राज्य में कार्य को पूरा करने के लए कोई समय-सीमा निर्धरित की है तथा यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क)और (ख) गेल कोच्चि-कूटनाड-बंगलौर-मंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल) बिछा रही है जो केरल, त मलनाडु और कर्नाटक से होकर गुजरती है। गेल ने बताया है क परियोजना का चरण-1 केरल में अगस्त 2013 में पूरा कर लया गया है और चरण-2 में केरल में 443 क0मी0 का वेल्डिंग कार्य और कुल 444 क0मी0 में से 440 क0मी0 का लोवरिंग कार्य पूरा कर लया गया है।

(ग) पाइपलाइन बिछाने के लए भू म में प्रयोक्ता के अ धकार के अर्जन के लए जिसमें इससे संबं धत शकायतों का निवारण भी सम्मि लत है, राज्य सरकार की सफारिश पर केन्द्रीय सरकार पेट्रो लयम और खनिज पाइपलाइन (पीएंडएमपी) अ धनियम 1962 के तहत सक्षम प्रा धकारी (सीए) नियुक्त करती है। सीए द्वारा प्राप्त शकायतों का निपटान पीएंडएमपी अ धनियम के प्रावधानों के तहत कया जाता है।

भू म और फसल के मुआवजे से संबं धत चंताएं केरल सरकार के दिनांक 01.12.2017 के आदेश द्वारा दूर कर दी गई हैं। इस आदेश की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

(i) केरल सरकार ने उ चत मूल्य का 10 गुना बाजार मूल्य घो षत कया है, इससे भू-स्वामी को भू म के मुआवजे के रूप में पूरा उ चत मूल्य प्राप्त होगा।

(ii) भू मधारिता के 10 प्रतिशत से कम भू म वाले भू-स्वा मयों को 5.00 लाख रुपए का अनुग्रह भुगतान कया जाएगा।

(iii) धान की भू म के स्वा मयों को जहां से पाइपलाइन गुजरती है, सामान्य भू म मुआवजे के अतिरिक्त, एकबारगी मुआवजे के रूप में 3761 रुपए प्रतिशत की दर से फसल का मुआवजा दिया गया है।

(iv) 10 प्रतिशत से कम की भू मधारिता के संबंध में पाइपलाइन की आरओयू चौड़ाई 2 मीटर तक कम कर दी गई है।

(घ) गेल ने बताया है क परियोजना के निर्माण के लए कसी भी आवासीय निवास को हटाने की जरुरत नहीं पड़ी। तथा प, पीएंडएमपी अ धनियम के अनुसार भू म और फसल मुआवजे के लए 400 करोड़ रुपए की रा श का अनुमान लगाया गया है जिसमें से 268.65 करोड़ रुपए वतरित कर दिए गए हैं।

(ड.) सरकार ने वर्ष 2007 में पीएनजीआरबी अ धनियम, 2006 के तहत पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस वनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) स्था पत कया है जो कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने और वस्तार करने के लए प्रा धकार प्रदान करता है जिसमें पूर्णता कार्यक्रम की समय-सीमा का भी उल्लेख कया जाता है। तथा प, कसी वलंब के मामले में, कंपनी के अनुरोध पर पीएनजीआरबी मामले की जांच करता है और समय-समय पर समयाव ध बढ़ाता है। समस्त केकेबीएमपीएल पाइपलाइन बिछाने के लए वर्तमान पूर्णता कार्यक्रम को पीएनजीआरबी द्वारा 28.02.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

******